क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

भविष्य निधि भवन, चारकोप पोयसर रोड, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०६७

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Bhavishva Nidhi Bhavan, Charkop Poiser Road, Kandivli (W), Mumbai

सं./ महा / भ. नि. / प्रयोज्यता NO. MH/PF/APPI 93641/ ENF VIII/ SAO/KNO/385 Date: 7-06-2003
सेवा में
To MIS B2B Cabyrinth services
मिंगि हिल्ली अप किया निर्धि एवं प्रकिण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना - इसकी प्रयोज्यता - संकेत संख्या
विषय : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना - इसकी प्रयोज्यता - संकेत संख्या का आबंटन ।
Sub: Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 and the scheme framed thereunder applicability thereof - Allotment of code number.
महोदय, अस्त अस्ति अस्ति अस्ति विकास विकास अस्ति
Sirs,
1. आपकी फैक्ट्री/स्थापना उसकी सभी शाखाए और विभागों के साथ दि से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध
अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है की :
1. Your factory/establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from.
information made available reveals that
1. आपकी फैक्ट्री अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा 1(3) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है।
(i) Your factory is engaged in
2 आपकी स्थापना के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा 1(3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू किया है।
(ii) Yours is an establishments classified as https://www.establishments.classified as <a <="" href="https://www.establishments.classified" td="">
3. आपकी फैक्ट्री / स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भुत नही है। अत: आपकी स्थापना के अ-सूचिबद्ध माना गया है।
(1-क) जाँच पडताल / उपलब्ध सूचना के आधार पर व्याप्ति तत्कालिक स्वरुप की है; लेकिन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए।
(1-A) The coverage is PROVISIONAL on the basis of enquiries made/information available and is subject to further verification of your records for prior periods.
(1-ख) अधिनियम की धारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वैच्छि रुप से विस्तार के

सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं.
के सन्दर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुअे भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक आपकी स्थापना की तात्कालिक रुप से दि.
यह संकेत संख्या नियत की गई है।
(1-B) With reference to your application No
(1-क) आपकी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए एम्एच्/ किये जानेवाले सभी पत्राचार पर नित्य रूप से उद्धृत की जाएं।
(1-C) The code No. MH/9364/ is allotted to you for the purpose of making compliance with the provision of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder. This code number should invariably be quoted in all the correspondence with this office
2. आपको 💮 से परिवार पेन्शन
योजना तथा ———— से निक्षंप सहबद्ध बीमा योजना के उपबन्धों को कार्यान्वित करना है, अगर अभीतक न किये हो, तो
2. You are required to implement the provisions of the Employees' Provident Fund Scheme w.e.f. 01-04-2005 and Depositions Insurance Scheme w.e.f. 01-04-2005 if not already done
3. फैक्ट्री / स्थापना में या उसके काम के सम्बंध में कार्य करने वाला कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ की धारा २६ के अनुसार निर्धि की सदस्यत के लिए पात्र होगा।
3. As provided in para 26 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, an employee whorking in connection with the work of the factory / establishment shall be eligible for membership of the fund
4. (1) हर महिने प्रत्येक कर्मचारी को देय मूल वेतन, महागाई भत्ता (अनाज सुविंधा की नगद कीमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारणभ के
12% की दर से अंशदान नियोक्ता द्वारा देय होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान के समान होगा।
4. (i) The contributions payable by the employer shall be at the rate of 100, 12% of basic wages, dearnes allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to eac employee, every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contributio payable by the employer.
(2) अंशदान पूर्ण महिने में प्राप्त किये मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदी के आधार पर परिकलित किया जाए, चाहे वह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षित या मासिक आधार पर अदा किया है ।
(ii) The contributions shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc. actually drawn durin the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.
(3) प्रत्येक अंशदान रूपये के नजदिक के चतृर्थांथ में परिकलित किया जाएगा। जैसे का 125 या उसके अधिक पैसे रूपये के अगले उच्च चतृर्थां के अनुसार गिने जाए।
(iii) Each contributions shall be calculated on the nearest quarter of a rupee i.e. 125 pasie more to b

(4) अंशदान की परिगणना हेतु वेतन नजदिक के रूपये में पूर्णांकित किया जाए जैसे कि 50 या उसके अधिक पैसे एक रूपया के अनुसार गिने जाए और 50 से कम पैसे पैसे छोड़ दिया जाए।

counted as the next higher quarter of a rupee.

(iv) For the purpose of calculation of contributions the wages may be rounded off to the nearest rupee i.e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.

टिप्पणी:- किसी भी दिन आपने 50 या 50 से अधिक व्यक्तियों को कामपर रखा तो आप 10%, 12% अंदशदान देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

Note: On your employing 50 or more than 50 persons on any day, you will be liable to pay contributions 10%, 12%.

- (5) नियोक्ता प्रथमतः उसके और कर्मचारी की ओर से देय दोनो अंशदान भरें।
- (v) The employer shall in the first instance, pay both contributions payable by himself and also on behalf of the member.
- (6) ठेकेदार द्वारा कामपर लगाये हुये कर्मचारीयों के बारे में देय अंशदान ठेकेदार वसूल करेगा और सदस्य के अंशदान की कटौती समान अंशदान की राशी प्रशासनिक खर्चा की रक्कम के साथ मुख्य नियोक्ता का सुपूर्त करेगा।
- (vi) In respect of employee employed by or through a contractor, the contractor shall recover the contribution payable by such employees and shall pay to the principal employer the amount of member's contribution so deducted together with an equal amount of contributions and administrative charges.
- (7) मुख्य नियोक्ता पर उसके कर्मचारीयों के एवं टेकेदार द्वारा कामपर लगाये गये कर्मचारीयों के बारे में देय दोनो अंशदान और प्रशासनिक खर्ची की रकम भरने की जिम्मेदारी होगी।
- (vii) It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the contributions payable by himself in respect of employees employed by him and also in respect of employees employed by or through a contractor and also Administrative charges.
- 5. कर्मचारी की उसका वेतन देने से पहले आप उसके वेतन से कर्मचारी के अंशदान की कटौती करें और आपका अंशदान एवं प्रशासनिक खर्चों की रकम के साथ प्रत्येकमहिने की समाप्ति के 15 के दिन अन्दर भारतीय स्टेट बँक द्वारा पोषित निधि के लेख में अलग चालान द्वारा निम्नलिखित पकार से भरें।
- 5. Before paying the member his wages, you shall deduct the employee's contributions from his wages which together with your own contribution and administrative charges shall, within 15 days of the close of every month be paid in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by separate challans in the following manner:
- (क) भ. नि. अंशदान (कर्मचारी एवं नियोक्ता का)

(a) P.F. contributions (both employees' and employer's)

- (ख) प्रशसनिक खचों की रकम
- (b) Administrative charges
- (ग) परिवार पेन्शन अंशदान
- (c) Family Pension contributions

कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सं 1 में निक्षेपित किया जाए।

To be deposited in Employee's Provident Fund Account No. 1

कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सं 2 में निक्षेपित किया जाए।

To be deposited in Employees' Provident Fund Account No. 2 कर्मचारी परिवार पेन्शन निधि लेखा सं 10 में निक्षेपित किया जाए।

To be deposited in Employees' Family Pension Fund Account No. 10

टिप्पणी :- 1. प्रशासनिक खर्चों की दर वेतन के, अर्थात मूल वेतन, अनाज सुविधा की नकद कींमत के साथ महंगाई भत्ता और अगर हा ती प्रतिधारण भत्ते के 1.10% from 1-8-98 है। जिस स्थापना द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमास 5.00 रुपयों के कम परिकलित होती हो, उसके द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमास कम से कम 5-00 रूपयें देय होगी।

- NOTE: (i) The rate of administrative charges from 1-8-98 is 1.10% of pay i.e. basic wages, dearness allowance including cash value of any food concession and retaining allowance, if any.
- (2) यह भी नोट कर लिया जाये की सदस्य के वेतन के से यथा समय कटौती न करने पर अंशदान के दोनो हिस्से खुद नियोक्ता को भरने होंगे क्यों की उत्तरवर्ती वेतन से पिछले अवधि के लिये बकाये अंशदान की वसूली निशिद्ध है।
- (ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the members wages, the employer will have to pay both the shares himself as the recovery of arrears contributions for back period from the subsequent wages of the employee is prohibited.
- (3) आपको सभी पात्र कर्मचारीयों के बारे में पिछले -

महिनों के लिए भविष्य कुल अंशदान इस पात्र की तारीख से 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित खाते में निक्षेपित करना है।

(iii) You have to deposit the total P.F. contributions of the eligible employees for all past month namely from 01-04-2005 onwards to respective account within 15 days from the date of this letter.

(4) धन प्रेषण हेतु सम्बन्धित चालान इस कार्यालय यां विभिन्न जिलों में स्थित निरिक्षक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है ।

- (v) The relevant challans for the purpose of remittance of can be had from any branch of the State Bank of India.
- (5) चेक यथा अवस्था क.भ.नि. लेखा सं 1,2,10,21 और 22 के नाम से लिखकर चालान की चार प्रतियों के साथ भारतीय स्टेट बँक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किये जाए।
- (6) लेखा संख्या 1,2, और 10 में (उपयुक्त ब्योरें के अनुसार) किये जाने वाले निक्षेप के अतिरिक्त आपको कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के अन्तर्गत लेख सं 21 और 22 में निम्नलिखित प्रकार से राशीका निक्षेप प्रत्येक महिने की समाप्ति के बाद अगले महिने के 15 दिन के अन्दर करना है।
- 6. Besides making deposits in Account Nos. 1, 2 and 10 (as explained above), you are also required to deposit the amounts in Account Nos. 21 and 22 under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.
- 1. निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा सं. 21.

इस लेखार में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कींमत के साथ और अगर हो तो प्रतिधारण भतें की कुल राशी पर 0.5% की दर से अंशदान निक्षेपित करना है।

(i) Deposit Linked Insurance Fund Account No. 21 To this account will be deposited the contribution 0.5% which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any, payable to the employeess by employer.

2) क्षेत्रीय बीमा निधी प्रशासन लेखा सं 2

इस लेखा में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कींमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारण भत्ते की की कुल राशी पर 0.01% की दर से प्रशासनिक खर्चों की रकम निक्षेपित करनी है।

(ii) Regional Insurance Fund Administration Account No. 22 To this account will be deposited the administrative charges 0.01 per cent which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to the employees by employer.

- 7. उपयुक्त लेखा सं. 1,2,10,21, और 22 में किया जानेवाला निक्षेप अलभ चालान द्वार किया जाए एवं बैंक द्वारा प्राप्त पावती चालन की प्रति प्रपन्न सं. 12-ए (निम्नलिखित ब्योरों के अनुसार) के साथ संलग्न करके इस कार्यालय को भेंजी जाए।
- 7. The deposit in the above Account viz. No. 1, 2, 10, 21 and 22 are to be made by separate challan and a copy of the challan as receipted by the Bank may be forwarded to this office duly attached with form 1-A (explained below).
- 8. आपको निम्नलिखित विवरणियों को पोषण/प्रेषण करना है।
- 8. You are required to maintain/forward the following returns.
- क.भ.नि. योजना 1952 के अंतर्गत प्रपत्र संख्या 9 तथा प. पे. योजना 1971 के अंतर्गत प्रगत सं. 3 (प.पे.नि.)

योजना के अन्तर्गत फैक्ट्री/स्थापना की तारीख पर जिन्हे सदस्य बनाना आवश्यक है या जो सदस्य बनने के लिए पात्र है उस कर्मचारोयों के बारे में केवल एक बार इन्हे इस कार्यालय में प्रस्तुत करना है।

(i) Form No. 9 under the EPF Scheme 1952 and Form No. 3 (FPF) under the F.P.F. Scheme, 1971. These are to be submitted to this office once in respect of those employees who are required or entitled to become members on the date of the factory/establishment is covered under the Scheme.

- (2) कर्मचारी म. नि. योजना 1952 इन्हें इस कार्यालय को मेंजने के लिए प्रत्येक सदस्य से दी प्रतियों में प्राप्त करना है तथा प.पे.नि. योजना 1971 के अंतर्गत प्रपत्र सं 2
- (ii) Form No. 2 under the EPF Scheme, 1952 and to this office.
 also under F.P.F.
 Scheme, 1971.
- (3) प्रपत्र सं. 5-ए यह इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा। मालिकी में अगर उत्तरवीं परिवर्तन हो जाए तो उसे इस प्रपत्र के जिए इस कार्यालय को सूचित किया जाए।
- (iii) Form No. 5 A

 This is to be submitted to this office. Any subsequent change in ownership is also to be notified to this office through this form.
- (4) प्रपत्र सं. 3-च इसे प्रत्येक सदस्य कर्मचारी के बारे में फैक्ट्री /स्थापना में पोषित किया जाना है।
- (iv) Form No. 3-A This is to be maintained at the factory/establishment is respect of every employee who is a member.
- (5) प्रपन्न सं. 6-ए यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय को भेजा जाना है।
- (v) Form No. 6-A This is the annual return of contributions and is to be submitted to this office within 30 days of the close of the financial year.
- (6) प्रपत्र सं. 12 एं यह अंशदान की मासिक विवरणी है और इसे 25 तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाना है। भारतीय स्टेट बैंक में किये गये निक्षेप के पुष्टिकरण हेतु चालान की प्रतियाँ इसके साथ संलग्न की जाए।
- (iv) Form No. 12-A

 This is the monthly return of contributions and is to be submitted to this office by 25th Copies of the challan, in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.
- (7) प्रपत्र सं. 5 और 10 यह महिने में जिन कर्मचारीयों को सदस्य बनाना गयाँ तथा जिन कर्मचारीयों ने सेवा त्याग दी है। उनके सम्बन्धित विवरणियाँ है जिन्हे तारीख 25 तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाता है।
- (vii) Form Nos.5 and 10 These are the returns of employees who have become new members or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 25th.
- 9. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, परिवार पेन्शन योजना तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के अन्तर्गत सभी निर्धारित प्रपत्र भविष्य निधिन निरीक्षक के कार्यालय में उपलब्ध है और आपकी पहचान पर उसकी पूर्ति की जाएगी। योजना के निर्धारित विभिन्न का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक ''ए'' में दिया है। शीघ्र गणक भी इससे संलग्न है।
- 9. All the forms prescribed under the Employees' Provident Funds Scheme, the Family Pensicn Fund Scheme and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 are available in the Provident Fund Inspector's Officer and will be supplied on receipt of your indent. A summary of the various forms prescribed under the Scheme is given as Annexure "A". A ready reckoner is also enclosed.
- 10. इसके अलावा आपको सेवा में लिए गये प्रत्येक कर्मचारी से प्रपत्र सं. 11 में निवेदन प्राप्त करना होगा जिससे वह पहले भविष्य निधि योजना का सदस्य था या नहीं इसका पता चल सके। सदस्यता के लिये लगनेवाली योग्यता की जाँच करने हेतु प्रत्येक स्थापना असदस्य कर्मचारीयों के बारे में पात्रता रिजस्टर रखेगी।
- 10. Besides, you should also take a declaration in form No. 11 from every employee who is taken in employment to ascertain as to whether or not he was already a member of the Provident Fund Scheme.
- 11. निम्नलिखित प्राप्त के अनुसार एक निरिक्षक पुस्तिका रखी जाए एव टीका-टिप्पणी दर्ज करने के लिए असे भविष्य निधि निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाए।
- 11. An Inspection book in the following proforma may also be maintained and produced to the Provident Fund Inspector for recording his observation:
- (1) भविष्य निधि निरीक्षक का नाम
- (i) Name of the Provident Fund Inspector...

shi-K.R. Yadar